उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–9
संख्या–2163/दो–9–2017–26(12)/2005
लखनऊ, दिनॉक– 18 सितम्बर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

प्रशासनिक सुधार विभाग के शासनादेश आदेश संख्या–2/2015/445/43 –2 –2014 –15/2(2)/1 टी0सी0, दिनांक–18 मार्च, 2015 द्वारा शासन स्तर पर अनुभाग अधिकारी को पदेन जन सूचना अधिकारी नामित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुक्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–5(1) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग हेतु जनसूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–1321/दो–6–2015–26(12)/2005, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 को अवक्रमित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से एतद्द्वारा नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत आने वाले समस्त अनुभागों (कार्मिक नियमावली प्रकोष्ठ एवं नियुक्ति लेखा अनुभाग सहित) के अनुभाग अधिकारी को पदेन जनसूचना अधिकारी एवं अनुभाग के प्रभारी/प्रथम पर्यवेक्षणीय अधिकारी को पदेन प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

2– उपरोक्तानुसार नामित प्रथम अपीलीय अधिकारी, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्रभावशाली अनुश्रवण एवं निस्तारण हेतु उत्तरदायी होगें तथा समय–समय पर मा0 आयोग की अपेक्षा के अनुरूप उपस्थित होकर शासन का पक्ष प्रस्तुत करेगें।

3– ऐसे अनुभाग जहॉ अनुभाग अधिकारी का पद रिक्त है अथवा कोष्ठक जहॉ पर अनुभाग अधिकारी का पद नहीं है, वहॉ सूचना का अधिकार से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण रिक्त अनुभाग के प्रभारी अधिकारी अनु सचिव या उप सचिव जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किया जायेगा। इसी प्रकार कोष्ठक के अनु सचिव/उप सचिव उपरोक्तानुसार जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किया जायेगा। तदानुसार प्रथम पर्यवेक्षणीय अधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी अथवा उनके न रहने पर उनके ऊपर के अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी होगें।

4– सूचना का अधिकार से संबंधित कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता देय नहीं होगा। यह कार्य दैनिक सामान्य कार्य के अन्तर्गत होगा।

5– प्रत्येक अनुभागों के प्रभारी अधिकारी जन सूचना से संबंधित प्रकरणों के समन्वय अधिकारी होगें एवं प्रत्येक माह उनके द्वारा समीक्षा करके जन सूचना से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति अपने उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत की जायेगी।

6– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त प्रत्यावेदनों हेतु नियुक्ति अनुभाग–9 को सूचना समन्वय का कार्य आवंटित है अतः अनुभाग अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग–9 को जन सूचना अधिकारी, समन्वय भी नामित किया जाता है।

7– उल्लेखनीय है कि सचिवालय मैनुअल के प्रस्तर–164 में अनुभाग अधिकारी को "अशासकीय पत्र" निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः सूचना का

2/---

Nodal Officer

अधिकार के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी के रूप में अनुभाग अधिकारी द्वारा आवेदकों को सूचना का उत्तर देने अथवा किसी अन्य विभाग/अनुभाग को सूचना का अन्तरण, "अशासकीय पत्र" के माध्यम से किया जायेगा।

दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-263(1)/दो–9–2017, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– निजी सचिव समस्त विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– निजी सचिव समस्त संयुक्त सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– उप सचिव/अनु सचिव,/विशेष कार्याधिकारी, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0शासन।
5– रजिस्ट्रार/सचिव, मा0 राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– समस्त अनुभाग, एवं अनुभाग अधिकारी/जनसूचना अधिकारी नियुक्ति, एवं कार्मिक विभाग उ0प्र0 सचिवालय।
7– श्री नूरूल होदा, वरिष्ठ प्रणाली प्रबन्धक, यू0पी0डेस्को को उक्त सूचना नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8– नियुक्ति लेखा अनुभाग/कार्मिक नियमावली प्रकोष्ठ।
9– प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
10– अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।

Nodal Officer